रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012025-260357
CG-DL-E-22012025-260357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2025/ माघ 1, 1946
No. 38] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2025/ MAGHA 1, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025

आयकर

सा.का.नि. 67(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44खखग की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 6छक के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"गगगख। — अनिवासियों के मामलों में क्रूज शिप के प्रचालन कारबार के लाभ और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

6छख। क्रूज शिप के प्रचालन के कारबार में लगे हुए अनिवासी के लिए धारा 44खखग हेतु शर्तें— धारा 44खखग के प्रयोजनों के लिए, कोई निर्धारिती जो अनिवासी होकर क्रूज शिप के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है,-

(i) दो सौ यात्रियों से अधिक को ले जाने की क्षमता या पचहत्तर मीटर या अधिक की लंबाई वाले यात्री पोत को अवकास और मनोरंजन प्रयोजनों के लिए प्रचालित करेगा तथा यात्रियों के लिए समुचित भोजन कक्ष और कैबिन सुविधाएं रखेगा;

(ii) भारत के कम से कम दो समुद्र पत्तनों पर या भारत के उसी पत्तन पर दो बार अनुसूचित समुद्री यात्रा या समुद्र यात्रा खोज पर ऐसे पोत का प्रचालन करेगा;

(iii) ऐसे पोत को प्राथमिक रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए प्रचालित करेगा न कि स्थौरा ले जाने के लिए;

(iv) ऐसे पोत को पर्यटन मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रक्रिया और मार्ग निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार प्रचालित करेगा ।"।

[अधिसूचना सं. 9/2025 /फा.सं. 370142/18/2024-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, साधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 739(अ) तारीख 29 नवंबर, 2024 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2025

INCOME-TAX

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with the sub-section (1) of section 44BBC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 6GA, the following shall be inserted, namely:–

"**CCCB.– Special provisions for computing profits and gains of business of operation of cruise ships in case of non-residents.**

6GB. Conditions for non-resident, engaged in the business of operation of cruise ships for section 44BBC.– For the purposes of section 44BBC, an assessee, being a non-resident, engaged in the business of operation of cruise ships shall, –

(i) operate a passenger ship having a carrying capacity of more than two hundred passengers or length of seventy-five meters or more, for leisure and recreational purposes and having appropriate dining and cabin facilities for passengers;

(ii) operate such ship on scheduled voyage or shore excursion touching at least two sea ports of India or same sea ports of India twice;

(iii) operate such ship primarily for carrying passengers and not for carrying cargo; and

(iv) operate such ship as per the procedure and guidelines if any, issued by the Ministry of Tourism or Ministry of Shipping.".

[Notification No. 9 /2025/ F.No.370142/18/2024-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 739(E) dated the 29th November, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA